



राज० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टु पोस्ट एंड कन्सिशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 4-खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 2 मई, 1989

वैशाख 12, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पंचायती राज अनुभाग-1

संख्या 2866/33-1-78-83

लखनऊ, 2 मई, 1989

अधिसूचना

प० आ०-1138

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते जाँच इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का आतिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रार्थीधिक) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रार्थीधिक) सेवा नियमावली, 1989

भाग एक-सामान्य

1-(1) यह विधायी उत्तर प्रदेश सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रार्थीधिक) सेवा नियमावली, 1989 कड़ी जायगी और भारत और भारत

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगी।

2-उत्तर प्रदेश सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रार्थीधिक) सेवा एवं सेवा की

अर्थशास्त्र

३—जब तक कि निम्नलिखित शर्तों से शर्तों, सेवा अधिनियम की शर्तों—

(क) "नियुक्ति पूर्व-अनुदेशों" का तात्पर्य पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश से है।

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग—दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय ;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ;

(घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है ;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राथमिक) सेवा से है ;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होती वर्ष के अन्त तक की अवधि से है ।

भाग दो—सर्वोच्च

सेवा का संवर्ग

४—(१) सेवा की सदस्य शर्तों के अधीन होगी जिनकी सरकार द्वारा समय-समय पर अध्यापित की जाय ।

(२) जब तक कि उपरोक्त (१) के अधीन परिचालन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या ३० होगी ;

परन्तु—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आरक्षित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का इकट्ठा न होगा ; या

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिनकी वह उचित समझें ।

भाग तीन—भर्ती

भर्ती का सूत्र आरक्षण

५—सेवा में पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायगी ।

६—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रदत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

भाग चार—अर्हताएँ

राष्ट्रीयता

७—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, १९६२ के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से प्राकृतिक, धर्म, श्रमिकता या किसी पूर्वी आसीकी देश से सेवा, उपायों और अनुसूचित नियुक्ति आदि संबंधित (पूर्ववर्ती) प्राधिकारित अति-प्राथमिक) से प्रवृत्त किया हो ;

परन्तु उपयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्था ऐसे व्यक्ति होगा चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्था से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महाधायक, गुप्तचर सेवा, उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्था उपयुक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्था को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत का नागरिकता प्राप्त कर ले ।

टिप्पणी :—एसे अभ्यर्था को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

8—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्था के पास शिक्षक अर्हताएं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा हो ।

9—अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्था को सीधी भर्ती के मामले में अधिमानी अधिकारों दिया जायगा, जिसने—

- (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो ; या
- (दो) राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।

10—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्था की आयु भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को आयु 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थाओं की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्था का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी :—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे । किसी ऐसे अपराध के लिये जिसे नैतिक अद्यमता अन्तर्लित हो, दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्था पात्र न होगा वैवाहिक प्रास्थिति जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्था पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं ।

13—किसी भी अभ्यर्था को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक कष्ट से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो ।

किसी अभ्यर्था को नियुक्ति के लिये अन्तम रूप में अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेंटल रूप से 10 के अधीन बनाये गये और फौडर्येनियसल हेण्ड बुक खण्ड—दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे ।

भाग-पाँच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का
अवधारण

14-नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम संख्या 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती
की प्रक्रिया

15-(1) चयन के लिये विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमांत्रित किये जायेंगे, जो भुगतान किये जाने पर, यदि कोई हो, आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता का ध्यान में रखते हुये साक्षात्कार के लिये उतने अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्हताएँ पूरी करते हों, बुलायेगा जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता-क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

भाग-छः-नियुक्ति, परीक्षा, ज्येष्ठता और स्थायीकरण

नियुक्ति

16-(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम नियम 15(3) के अधीन तैयार की गयी सूची में हों।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में यथा-अवधारित ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानाधिन के रूप में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इस सूची का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हों, से अधिक नहीं चलेगी और यदि पट आयोग के क्षत्रान्तर्गत हों तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिमीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5(क) के उपबन्ध लागू होंगे।

परीक्षा

17-(1) सेवा में किसी पट पर, स्थायी रिक्त में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अमांत्रित किये जायें, अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा टिनांक निर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु आपघाटिक परिस्थितियों के सिवाय, परीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पट पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उरक्षा किसी पट पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती है।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाये समाप्त की जाय, वह किसी प्रांतिकर का हयदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

18-किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा-अवधि के अन्त में उनकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा—यदि

(क) उरक्षा कार्य और आचरण संतोषजनक बनावे जाय ; और

(ख) उसकी मन्थनिष्ठा प्रमांशित कर दी जाय ; और

अ
उ
वि
अ
रि
उ
उ
र
व
रि
रि

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

19—(1) किसी अभ्यर्था की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक निर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 16 के उपनियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उन्निर्दिष्ट हों।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे, नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय आयोग द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्था अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्ति का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता को सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

भाग—सात वेतन इत्यादि

20—(1) सेवा में किसी पद पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या वेतन अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सेवा में पदों का वेतनमान 515—15—590—18—626—20 र०—18—680—20 र०—20—780—20 र०—20—860 रूपमें है।

21—(1) फण्डामेंटल स्लैब में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते लिये भी, परि-परिवीक्षा-अर्वाधि सीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकार सेवा में न हो, समयमान में वेतन प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा-अर्वाधि पूरी कर ली हो और उरो स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अर्वाधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अर्वाधि गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अर्वाधि में वेतन संगत फण्डामेंटल स्लैब द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अर्वाधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अर्वाधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अर्वाधि में वेतन राजस्वपत्राव के सम्बन्ध में संगत सरकारी सेवाओं पर सम्बन्धित या संगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

22—किसी व्यक्ति को—

(एक) प्रथम दृष्टिकारोंक पार करने की अनुमति तक तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने अपने कार्य का पर्याप्त ज्ञान अर्जित न कर लिया हो और पर्याप्त ट्रेनिंग और निरीक्षण कार्य और समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार गाँव कर्मचारी न किया हो उसका वर्च और अपनाना संतोषजनक न

दृष्टिकारोंक पार करने का मान-दण्ड

(दो) द्वितीय और तृतीय दशतारोंक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि यह न पाया जाय कि उसने धीरतया अपनी सम्पूर्ण योग्यता से कार्य किया है और वह कार्यालय और पंचायत उद्योगों का ध्वन्ध करने में समर्थ है; उसका अपने अधीनस्थों पर अच्छा नियंत्रण है और उसके कार्य और आचरण संतोषजनक है और जब तक कि उसकी सत्यानिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग-आठ-अन्य-उपबन्ध

पत्र समर्थन

23—सेवा में पदों पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी भी सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

24—एसे विषयों के संबंध में जो विशेष रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

25—जहां सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनिश्चित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और एसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त हो सकती है और या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यापृति

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त होने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायगा।

26—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव एसे आरक्षण और अन्य शिथिलताओं पर नहीं पड़ेगा जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

डा० इन्दु प्रकाश एरन,

सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2866/XXXIII-1-78-83, dated May 2, 1989:

No. 2866/XXXIII-1-78-83

Dated Lucknow, May 2, 1989

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regarding recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Assistant District Panchayat Raj Officer (Technical) Service.

THE UTTAR PRADESH ASSISTANT DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICERS (TECHNICAL) SERVICES RULES, 1989

PART—1—GENERAL

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Assistant

20. The Uttar Pradesh Assistant District Panchayat Raj Officers (Technical) Service is a non-gazetted service comprising group C post.

Status of Service

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context,—

Definitions

(a) "Appointing Authority" means the Director of Panchayati Raj Uttar Pradesh ;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India Part—II of the Constitution ;

(c) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission ;

(d) "Constitution" means the Constitution of India ;

(e) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh ;

(f) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(g) "Member of Services" means a persons appointed in a substantive capacity under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the service ;

(h) "Service" means the Uttar Pradesh Assistant District Panchayat Raj Officers (Technical) Service ;

(i) "Substantive appointment" means an appointment not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, and after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ;

(j) "Year of recruitment" means period of 12 months commencing from the first day of July of a Calendar year.

PART II—CADRE

4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

Cadre of Service

(2) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under such rule (1) be 56 :

Provided that—

(i) The appointing authority may leave unfilled, or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation, or

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III—RECRUITMENT

5. Recruitment to the posts in the service shall be made directly through the Commission.

Source of Recruitment

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Reservation

PART IV—QUALIFICATIONS

7. A candidate for direct recruitment to a posts in the service

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

NORE—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic
Qualifications

8. A candidate for direct recruitment to the post in the service must possess a Diploma in Mechanical Engineering from any recognized institution.

Preferential
Qualifications

9. A candidate who has —

(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of 2 years ; or

(ii) Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for a direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 30 years on July 1 of the year of recruitment :

Provided that the Upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respect for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NORE—Persons dismissed by the Union Government or a State Government or a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to a post in the service.

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service : Marital Status

Provided that the Governor may if satisfied there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. No candidates shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment ; he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental rule 10 and contained in chapter III of the Financial Handbook Vol. II, Part III. Physical Fitness

PART V--PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. The appointing authority shall determine and intimate to the Commission, the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. Determination of vacancies

15. (1) Application for being considered for selection shall be called by the Commission in the prescribed form, which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment, if any. Procedure for Direct Recruitment

(2) The Commission shall, having regard to the need for securing representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates who fulfil the requisite qualification, as they consider proper.

(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25%) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

PART VI--APPOINTMENT, PROBATION, SENIORITY AND CONFIRMATION

16. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 15(3). Appointment

(2) If more than one orders of appointments are issued in respect of any one selection, combined list shall also be issued mentioning of the name of the person in order of seniority as determined in the selection.

(3) The appointing authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list referred to in sub-rule (1). If no candidate borne in the list is available he may make appointment in such vacancies from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules whichever be earlier, and where the post is within the purview of the commission, the provisions of regulation 5(a) of the Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1951 shall apply.

Probation 17. (1) A person on appointment to a post in the service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded; extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post if any, and if he does not hold a lien on any post his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall be entitled to any compensation.

Confirmation 18. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if,—

(a) his work and conduct are reported to be satisfactory ;

(b) his integrity is satisfied ; and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority 19. (1) Seniority of a candidate shall be determined from the date of the order of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, from the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and in other cases it will mean the date of issuing the order :

Issued in respect of any candidate who has been appointed as mentioned in the combined order of appointment issued under sub-rule (2) of rule 10.

(2) The seniority *inter-se* of persons appointed directly on the result of any one selection shall be the same as determined at the time of selection by the commission :

Provided that candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when a vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of the reasons shall be final.

PART VII—PAY ETC

Pay 20. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to a post in the service ; whether in a substantive or officiating capacity or as temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay of the posts in service at the time of the commencement of these rules is Bursar 515-15-560-18-626-693-759-826-893-960-1027-1094-1161-1228-1295-1362-1429-1496-1563-1630-1697-1764-1831-1898-1965-2032-2100-2167-2234-2301-2368-2435-2502-2569-2636-2703-2770-2837-2904-2971-3038-3105-3172-3239-3306-3373-3440-3507-3574-3641-3708-3775-3842-3909-3976-4043-4110-4177-4244-4311-4378-4445-4512-4579-4646-4713-4780-4847-4914-4981-5048-5115-5182-5249-5316-5383-5450-5517-5584-5651-5718-5785-5852-5919-5986-6053-6120-6187-6254-6321-6388-6455-6522-6589-6656-6723-6790-6857-6924-6991-7058-7125-7192-7259-7326-7393-7460-7527-7594-7661-7728-7795-7862-7929-7996-8063-8130-8197-8264-8331-8398-8465-8532-8600-8667-8734-8801-8868-8935-9002-9069-9136-9203-9270-9337-9404-9471-9538-9605-9672-9739-9806-9873-9940-10007-10074-10141-10208-10275-10342-10409-10476-10543-10610-10677-10744-10811-10878-10945-11012-11079-11146-11213-11280-11347-11414-11481-11548-11615-11682-11749-11816-11883-11950-12017-12084-12151-12218-12285-12352-12419-12486-12553-12620-12687-12754-12821-12888-12955-13022-13089-13156-13223-13290-13357-13424-13491-13558-13625-13692-13759-13826-13893-13960-14027-14094-14161-14228-14295-14362-14429-14496-14563-14630-14697-14764-14831-14898-14965-15032-15099-15166-15233-15300-15367-15434-15501-15568-15635-15702-15769-15836-15903-15970-16037-16104-16171-16238-16305-16372-16439-16506-16573-16640-16707-16774-16841-16908-16975-17042-17109-17176-17243-17310-17377-17444-17511-17578-17645-17712-17779-17846-17913-17980-18047-18114-18181-18248-18315-18382-18449-18516-18583-18650-18717-18784-18851-18918-18985-19052-19119-19186-19253-19320-19387-19454-19521-19588-19655-19722-19789-19856-19923-19990-20057-20124-20191-20258-20325-20392-20459-20526-20593-20660-20727-20794-20861-20928-20995-21062-21129-21196-21263-21330-21397-21464-21531-21598-21665-21732-21799-21866-21933-22000-22067-22134-22201-22268-22335-22402-22469-22536-22603-22670-22737-22804-22871-22938-23005-23072-23139-23206-23273-23340-23407-23474-23541-23608-23675-23742-23809-23876-23943-24010-24077-24144-24211-24278-24345-24412-24479-24546-24613-24680-24747-24814-24881-24948-25015-25082-25149-25216-25283-25350-25417-25484-25551-25618-25685-25752-25819-25886-25953-26020-26087-26154-26221-26288-26355-26422-26489-26556-26623-26690-26757-26824-26891-26958-27025-27092-27159-27226-27293-27360-27427-27494-27561-27628-27695-27762-27829-27896-27963-28030-28097-28164-28231-28298-28365-28432-28499-28566-28633-28700-28767-28834-28901-28968-29035-29102-29169-29236-29303-29370-29437-29504-29571-29638-29705-29772-29839-29906-29973-30040-30107-30174-30241-30308-30375-30442-30509-30576-30643-30710-30777-30844-30911-30978-31045-31112-31179-31246-31313-31380-31447-31514-31581-31648-31715-31782-31849-31916-31983-32050-32117-32184-32251-32318-32385-32452-32519-32586-32653-32720-32787-32854-32921-32988-33055-33122-33189-33256-33323-33390-33457-33524-33591-33658-33725-33792-33859-33926-33993-34060-34127-34194-34261-34328-34395-34462-34529-34596-34663-34730-34797-34864-34931-35000-35067-35134-35201-35268-35335-35402-35469-35536-35603-35670-35737-35804-35871-35938-36005-36072-36139-36206-36273-36340-36407-36474-36541-36608-36675-36742-36809-36876-36943-37010-37077-37144-37211-37278-37345-37412-37479-37546-37613-37680-37747-37814-37881-37948-38015-38082-38149-38216-38283-38350-38417-38484-38551-38618-38685-38752-38819-38886-38953-39020-39087-39154-39221-39288-39355-39422-39489-39556-39623-39690-39757-39824-39891-39958-40025-40092-40159-40226-40293-40360-40427-40494-40561-40628-40695-40762-40829-40896-40963-41030-41097-41164-41231-41298-41365-41432-41499-41566-41633-41700-41767-41834-41901-41968-42035-42102-42169-42236-42303-42370-42437-42504-42571-42638-42705-42772-42839-42906-42973-43040-43107-43174-43241-43308-43375-43442-43509-43576-43643-43710-43777-43844-43911-43978-44045-44112-44179-44246-44313-44380-44447-44514-44581-44648-44715-44782-44849-44916-44983-45050-45117-45184-45251-45318-45385-45452-45519-45586-45653-45720-45787-45854-45921-45988-46055-46122-46189-46256-46323-46390-46457-46524-46591-46658-46725-46792-46859-46926-46993-47060-47127-47194-47261-47328-47395-47462-47529-47596-47663-47730-47797-47864-47931-48000-48067-48134-48201-48268-48335-48402-48469-48536-48603-48670-48737-48804-48871-48938-49005-49072-49139-49206-49273-49340-49407-49474-49541-49608-49675-49742-49809-49876-49943-50010-50077-50144-50211-50278-50345-50412-50479-50546-50613-50680-50747-50814-50881-50948-51015-51082-51149-51216-51283-51350-51417-51484-51551-51618-51685-51752-51819-51886-51953-52020-52087-52154-52221-52288-52355-52422-52489-52556-52623-52690-52757-52824-52891-52958-53025-53092-53159-53226-53293-53360-53427-53494-53561-53628-53695-53762-53829-53896-53963-54030-54097-54164-54231-54298-54365-54432-54499-54566-54633-54700-54767-54834-54901-54968-55035-55102-55169-55236-55303-55370-55437-55504-55571-55638-55705-55772-55839-55906-55973-56040-56107-56174-56241-56308-56375-56442-56509-56576-56643-56710-56777-56844-56911-56978-57045-57112-57179-57246-57313-57380-57447-57514-57581-57648-57715-57782-57849-57916-57983-58050-58117-58184-58251-58318-58385-58452-58519-58586-58653-58720-58787-58854-58921-58988-59055-59122-59189-59256-59323-59390-59457-59524-59591-59658-59725-59792-59859-59926-60000-60067-60134-60201-60268-60335-60402-60469-60536-60603-60670-60737-60804-60871-60938-61005-61072-61139-61206-61273-61340-61407-61474-61541-61608-61675-61742-61809-61876-61943-62010-62077-62144-62211-62278-62345-62412-62479-62546-62613-62680-62747-62814-62881-62948-63015-63082-63149-63216-63283-63350-63417-63484-63551-63618-63685-63752-63819-63886-63953-64020-64087-64154-64221-64288-64355-64422-64489-64556-64623-64690-64757-64824-64891-64958-65025-65092-65159-65226-65293-65360-65427-65494-65561-65628-65695-65762-65829-65896-65963-66030-66097-66164-66231-66298-66365-66432-66499-66566-66633-66700-66767-66834-66901-66968-67035-67102-67169-67236-67303-67370-67437-67504-67571-67638-67705-67772-67839-67906-67973-68040-68107-68174-68241-68308-68375-68442-68509-68576-68643-68710-68777-68844-68911-68978-69045-69112-69179-69246-69313-69380-69447-69514-69581-69648-69715-69782-69849-69916-69983-70050-70117-70184-70251-70318-70385-70452-70519-70586-70653-70720-70787-70854-70921-70988-71055-71122-71189-71256-71323-71390-71457-71524-71591-71658-71725-71792-71859-71926-71993-72060-72127-72194-72261-72328-72395-72462-72529-72596-72663-72730-72797-72864-72931-73000-73067-73134-73201-73268-73335-73402-73469-73536-73603-73670-73737-73804-73871-73938-74005-74072-74139-74206-74273-74340-74407-74474-74541-74608-74675-74742-74809-74876-74943-75010-75077-75144-75211-75278-75345-75412-75479-75546-75613-75680-75747-75814-75881-75948-76015-76082-76149-76216-76283-76350-76417-76484-76551-76618-76685-76752-76819-76886-76953-77020-77087-77154-77221-77288-77355-77422-77489-77556-77623-77690-77757-77824-77891-77958-78025-78092-78159-78226-78293-78360-78427-78494-78561-78628-78695-78762-78829-78896-78963-79030-79097-79164-79231-79298-79365-79432-79499-79566-79633-79700-79767-79834-79901-79968-80035-80102-80169-80236-80303-80370-80437-80504-80571-80638-80705-80772-80839-80906-80973-81040-81107-81174-81241-81308-81375-81442-81509-81576-81643-81710-81777-81844-81911-81978-82045-82112-82179-82246-82313-82380-82447-82514-82581-82648-82715-82782-82849-82916-82983-83050-83117-83184-83251-83318-83385-83452-83519-83586-83653-83720-83787-83854-83921-83988-84055-84122-84189-84256-84323-84390-84457-84524-84591-84658-84725-84792-84859-84926-84993-85060-85127-85194-85261-85328-85395-85462-85529-85596-85663-85730-85797-85864-85931-86000-86067-86134-86201-86268-86335-86402-86469-86536-86603-86670-86737-86804-86871-86938-87005-87072-87139-87206-87273-87340-87407-87474-87541-87608-87675-87742-87809-87876-87943-88010-88077-88144-88211-88278-88345-88412-88479-88546-88613-88680-88747-88814-88881-88948-89015-89082-89149-89216-89283-89350-89417-89484-89551-89618-89685-89752-89819-89886-89953-90020-90087-90154-90221-90288-90355-90422-90489-90556-90623-90690-90757-90824-90891-90958-91025-91092-91159-91226-91293-91360-91427-91494-91561-91628-91695-91762-91829-91896-91963-92030-92097-92164-92231-92298-92365-92432-92499-92566-92633-92700-92767-92834-92901-92968-93035-93102-93169-93236-93303-93370-93437-93504-93571-93638-93705-93772-93839-93906-93973-94040-94107-94174-94241-94308-94375-94442-94509-94576-94643-94710-94777-94844-94911-94978-95045-95112-95179-95246-95313-95380-95447-95514-95581-95648-95715-95782-95849-95916-95983-96050-96117-96184-96251-96318-96385-96452-96519-96586-96653-96720-96787-96854-96921-96988-97055-97122-97189-97256-97323-97390-97457-97524-97591-97658-97725-97792-97859-97926-97993-98060-98127-98194-98261-98328-98395-98462-98529-98596-98663-98730-98797-98864-98931-99000-99067-99134-99201-99268-99335-99402-99469-99536-99603-99670-99737-99804-99871-99938-100005-100072-100139-100206-100273-100340-100407-100474-100541-100608-100675-100742-100809-100876-100943-101010-101077-101144-101211-101278-101345-101412-101479-101546-101613-101680-101747-101814-101881-101948-102015-102082-102149-102216-102283-102350-102417-102484-102551-102618-102685-102752-102819-102886-102953-103020-103087-103154-103221-103288-103355-103422-103489-103556-103623-103690-103757-103824-103891-103958-104025-104092-104159-104226-104293-104360-104427-104494-104561-104628-104695-104762-104829-104896-104963-105030-105097-105164-105231-105298-105365-105432-105499-105566-105633-105700-105767-105834-105901-105968-106035-106102-106169-106236-106303-106370-106437-106504-106571-106638-106705-106772-106839-106906-106973-107040-107107-107174-107241-107308-107375-107442-107509-107576-107643-107710-107777-107844-107911-107978-108045-108112-108179-108246-108313-108380-108447-108514-108581-108648-108715-108782-108849-108916-108983-109050-109117-109184-109251-109318-109385-109452-109519-109586-109653-109720-109787-109854-109921-109988-110055-110122-110189-110256-110323-110390-110457-110524-110591-110658-110725-110792-110859-110926-110993-111060-111127-111194-111261-111328-111395-111462-111529-111596-111663-111730-111797-111864-111931-112000-112067-112134-112201-112268-112335-112402-112469-112536-112603-112670-112737-112804-112871-112938-113005-113072-113139-113206-113273-113340-113407-113474-113541-113608-113675-113742-113809-113876-113943-114010-114077-114144-114211-114278-114345-114412-114479-114546-114613-114680-114747-114814-114881-114948-115015-115082-115149-115216-115283-115350-115417-115484-115551-115618-115685-115752-115819-115886-115953-116020-116087-116154-116221-116288-116355-116422-116489-116556-116623-116690-116757-116824-116891-116958-117025-117092-117159-117226-117293-117360-117427-117494-117561-117628-117695-117762-117829-117896-117963-118030-118097-118164-118231-118298-118365-118432-118499-118566-118633-118700-118767-118834-118901-118968-119035-119102-119169-119236-119303-119370-119437-119504-119571-119638-119705-119772-119839-119906-119973-120040-120107-120174-120241-120308-120375-120442-120509-120576-120643-120710-120777-120844-120911-120978-121045-121112-121179-121246-121313-121380-121447-121514-121581-121648-121715-121782-121849-121916-121983-122050-122117-122184-122251-122318-122385-122452-122519-122586-12265

21. (1) Notwithstanding any provision in the fundamental rule to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service shall be allowed first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after 2 years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

Pay during Probation

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant fundamental rules generally to Government servants serving in connection of with the affairs of the State.

22. No person shall be allowed to cross—

Criteria for crossing efficiency bars

(1) The first efficiency Bar unless he is found to have acquired sufficient knowledge of his work and has done sufficient touring and inspection work and made night halts according to the instructions issued from time to time, his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified ;

(2) The second and the third efficiency Bars unless he is found to have worked steadily to the best of his ability and capable of managing the office and the Panchayat Udyogs, has a good control over his subordinates and his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

PART VIII—OTHER PROVISIONS

23. No recommendations, either written or oral other than those required under the rules applicable to the post in the service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support, directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Convassing

24. In regard to the matters not specially covered by these or by special order, persons appointed to the service shall be Governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

Regulation of other matters

25. Where the Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :

Relaxation in the condition of Service

Provided that when a rule has been made in consultation with the commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Saving

26. Nothing in these rules shall affect reservation and other concession required to be provided for the candidate belonging to the scheduled castes, scheduled tribes and other specified categories of persons in accordance with the order of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
Dr. I. P. ARON,
Secretary.



रजि० न० एल० डब्लू०/एन० पी० 561

लाइसेंस नं० डब्लू पी०/41

लाइसेंस टू पोस्ट एंटे कन्सेशनल रेटे

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 18 नवम्बर, 1989

कार्तिक 27, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पंचायती राज अनुभाग-1

संख्या 6022/33-1-68-77

लखनऊ, 18 नवम्बर, 1989

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प० आ०--1575

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा)

सेवा नियमावली 1989

भाग एक-सामान्य

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) सेवा नियमावली, 1989 कही जायगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की
प्रास्थिति

2—उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) सेवा एक अराजक पत्रित सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाएं

3—जब तक कि विषय या सदस्य में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य यथास्थिति संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (प्रशासन) से है जो तत्समय प्रशासन का कार्य देख रहे हों ;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ;

(घ) "संविधान का तात्पर्य" भारत का संविधान से है ;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के सम्बर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) सेवा से है ;

(झ) "मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य" सेवा के सम्बर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो—संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4—(1) सेवा की सदस्य संख्या ऐसी होगी जिसे राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अतर्कित किया जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय सेवा की सदस्य संख्या 944 होगी ;

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ;

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन—भर्ती

भर्ती का स्रोत

5—सेवा में भर्ती, यथा सम्भव, निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी—

(एक) कुल रिक्तियों का पचास प्रतिशत ग्राम पंचायत अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ;

(दो) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग चार—अर्हताएँ

राष्ट्रीयता

7—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के सम्बन्ध से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रखा जा सकेगा जबकि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है ।

टिप्पणी—एसे अभ्यर्थी का जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकेगा और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकेगा कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

8—सेवा में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विनियमों को कम से कम स्तरीय उपाधि हो ।

शिक्षक अर्हताएं

9—अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानी दिया जायगा, जिसने —

अधिमानी अर्हता

- (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो ;
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।

10—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

आयु

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उदत्ते वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

11—सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

चरित्र

टिप्पणी :—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे । किसी ऐसे अपराध के लिये जिसमें नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित हो, दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

वैवाहिक प्रास्थिति

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं ।

13—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेंशियल हेण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन, के अन्वय में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :

शारीरिक स्वस्थता

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी ।

भाग पांच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का
अवधारण

सीधी भर्ती
की प्रक्रिया

14--नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15--(1) सेवा में सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायगी।

(2) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन-पत्र आयोग से, उनके द्वारा विज्ञापित रूप विधान में आमंत्रित किये जायेंगे।

(3) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायगा जब तक कि उसके नाम आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

(4) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और आरणा वृद्ध कर लिये जाने के पश्चात्, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जितने इस सम्बन्ध में लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हो। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(5) आयोग अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितने वह नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर कुल अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम उच्चतर स्थान पर रखा जायगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

टिप्पणी--सेवा में पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (स्तातक समूह) के परिणाम पर की जायगी।

पदोन्नति द्वारा
भर्ती की प्रक्रिया

16--पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियम, 1970 के अनुसार की जायगी।

संयुक्त चयन
सूची

17--यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हों तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम बारी-बारी से सुसंगत सूचियों से लिये जायेंगे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छ--नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18--(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो।

(2) जहां, भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायंगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी कि जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या उस संदर्भ में जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थायीकरण रूप में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी और जहां पद आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (दृष्टियों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5(क) के अन्वय लागू होंगे।

19---(1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर अत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

परिवीक्षा

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणा-दिनांक न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

20---किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाये गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि---

स्थायीकरण

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो ;

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो ;

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो ;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो ; और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

21---(1) एतदपश्चात् तथा उपबन्धित के सिवाय, ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी :

ज्येष्ठता

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाय तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 के उप-नियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो आयोग द्वारा अवधारित की गयी हो ;

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्य-भार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी।

भाग सात-वेतन इत्यादि

22---(1) सेवा में पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमान्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

वेतनमान

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान 1200-30-1560-द0 रो0-40-2040 रूपया है।

परिवीक्षा
अवधि में वेतन

23--(1) फण्डामेंटल रूल में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और, जहां विहित हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

24--किसी व्यक्ति को--

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने नियमों का संतोषजनक ज्ञान अर्जित न कर लिया हो पर्याप्त दौरा और निरीक्षण कार्य न किया हो, विकास कार्य में संतोषजनक प्रगति न की हो, उसने पंचायतों पर संतोषजनक नियंत्रण न बनाये रखा हो, और उसका आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने ग्राम्य विकास कार्य और कार्यक्रमों में निश्चित योगदान न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग आठ--अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25--सेवा में पदों पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा । अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का
विनियमन

26--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

सेवा की शर्तों में
शिथिलता

27--जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, तो उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल करने या अभिमुक्त करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा ।

व्यावृत्ति

28--इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कि गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से,
कमल कान्त जैसवाल,
सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6022/XXXIII-1-68-77, dated November 18, 1989 :

No. 6022/XXXIII-1-68-77

Dated Lucknow, November 18, 1989

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following, rules regulating recruitment and conditions of service of person appointed to the Uttar Pradesh Assistant Development Officers (Panchayat-cum-Social Education) service ;

THE UTTAR PRADESH ASSISTANT DEVELOPMENT OFFICERS
(PANCHAYAT-CUM-SOCIAL EDUCATION) SERVICES RULES, 1989

PART I- GENERAL

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Assistant Development Officers (Panchayat-cum-Social Education) Service Rules, 1989.</p> <p>(2) They shall come into force at once.</p> <p>2. The Uttar Pradesh Assistant Development Officers (Panchayat-cum-Social Education) service is a non-gazetted service comprising Group 'C' posts.</p> <p>3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:—</p> <p>(a) 'appointing Authority' means Joint Director or the Deputy Director (Administration), as the case may be, looking after the work of administration for the time being, Deputy Director (Administration) Panchayat Raj, Uttar Pradesh;</p> <p>(b) 'Citizen of India' means a person who is or is named to be a citizen of India under Part II of the Constitution ;</p> <p>(c) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission;</p> <p>(d) 'Constitution' means the Constitution of India ;</p> <p>(e) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh ;</p> <p>(f) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh ;</p> <p>(g) 'Member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service ;</p> <p>(h) 'Service' means the Uttar Pradesh Assistant Development Officers (Panchayat-cum-Social Education) Service ;</p> <p>(i) 'Substantive appointments' means an appointment not being an <i>ad hoc</i> appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and if there are no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction, issued by the Governor ;</p> <p>(j) 'Year of recruitment' means the period of twelfth months commencing from the first day of July of a calendar year.</p> | <p>Short title and commencement</p> <p>Status of the service</p> <p>Definitions</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

PART II CADRE

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Governor from time to time.</p> <p>(2) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be ; provided that (i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without there by entitling any person to compensation ; and (ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts from time to time as he may consider proper.</p> | <p>Cadre of service</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

PART III. RECRUITMENT

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>5. "Recruitment" to the service shall as far as possible be made from the following sources :</p> <p>(i) fifty percent of the total vacancies by promotion from amongst Gram Panchayat Adhikaries ;</p> <p>(ii) fifty percent by direct recruitment.</p> | <p>Source of Recruitment</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitments.

PART IV - QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to the service must be:

(a) a citizen of India ; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India ; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tangania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

NOTE : A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualifications

8. A candidate for direct recruitment to the service must possess at least a Bachelors degree from a University established by law of India.

Preferential qualification

9. A candidate who has—

(a) served in the territorial Army for a minimum period of two years

or

(b) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps.

Age

10. A candidate shall other thing being equal be given preference in the matter of direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 30 years on July 1 the year of recruitment.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE : Persons dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government, shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be of good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule-10 and contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III :

Physical Fitness

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V - PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. The appointing authority shall determine and intimate to the Commission, the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Schedule castes, Scheduled Tribes and other categories under Rule 6.

Determination of vacancies

15. (1) Direct recruitment to the service shall be made through the Commission on the basis of a competitive examination.

Procedure for direct recruitment

(2) Application for permissions to appear at the competitive examination shall be called by the commission in the format advertised by them prescribed form which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment if any ;

(3) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission granted by the Commission.

(4) After the results of the written examination have been received and tabulated the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and others under rule-6 call for interview such numbers of candidates as on the result of the written examination have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(5) The Commission shall prepare a list of the candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be larger but not larger by more than 25 per cent than the number of the vacancies. The commission shall forward the list to the appointing authority.

NOTE :- Direct recruitment to the post in the service may be made on the result of combined Lower Subordinate Services Examination (Graduate Group).

16. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970 as amended from time to time.

Promotion for recruitment by promotion

17. If in any year of recruitment appointment are to be made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidate from the relevant lists alternately, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

Combined select list.

PART VI - APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

18. (1) Subject to the provision of Sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the name of the candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules-15, 16 or 17 as the case may be;

Appointment

(2) Where in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule-17;

(3) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the name of the person in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in Rule-17;

(4) The appointing authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the lists referred to in sub-rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointment in such vacancies from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier and where the post is within the purview of the Commission, the provisions of regulation 5(a) of the U. P. Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulation, 1954 shall apply.

Probatio

19. (1) A person on appointment to a post in the service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted. Provided that save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year, and in no circumstances, beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at anytime during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if :-

- (a) he has passed the prescribed departmental examination, if any;
- (b) he has successfully undergone the prescribed training, if any;
- (c) his work and conduct are reported to be satisfactory;
- (d) his integrity is certified; and
- (e) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

21. (1) Except as hereinafter provided the seniority shall determined from the date of the order of substantive appointment and two or more persons are appointed together, by the order in which their names are arranged in the appointment order.

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed that date will be deemed to be the date of substantive appointment and in other cases, it will mean the date of issue of the order.

Provided further that if more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, the seniority shall be as mentioned in the combined order of appointment issued under sub-rule (3) of rule-18:

(2) The seniority interse of the persons appointed directly on the result of any one selection shall be the same as determined by the Commission:

Provided that a candidate recruited directly may loose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him, the decision of the appointing authority as to validity of reasons shall be final.

(3) The seniority interse of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

PART VII—PAY ETC.

22. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the posts in the service whether in a substantive or officiating, capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

Scale of Pay

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is Rs. 1200—30—1560—E.B.—40—2040.

23. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period has passed departmental examination and undergone training where prescribed and is also confirmed :

Pay during probation

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increments unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules. Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

24. No person shall be allowed to cross :—

Criterion for crossing efficiency bar

(i) the first efficiency bar unless it is found that he has acquired satisfactory knowledge of rules, does sufficient touring and inspection work, has made satisfactory progress in development work, has maintained satisfactory control over the Panchayats and his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified ;

(ii) the second efficiency bar unless he is found to have made a definite contribution to village development works and programmes and his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

PART VIII—OTHER PROVISIONS

25. No recommendations either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post in the service, will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Canvassing

26. In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Regulation of other matters

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :

Relaxation in conditions of service

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of that rule are relaxed or dispensed with.

Saying

28. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
KAMAL KANT JAISWAL,
Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
 पंचायती राज अनुभाग-1
 संख्या: 45/7 /53-1-94-116/92
 लखनऊ: दिनांक 10 नवम्बर, 1994

4/6073/94

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्षा का प्रयोग करते राज्यपाल उत्तर प्रदेश सहायक विद्यालय अधिकाारी (पंचायत स्तर) सेवा नियमावली, 1989 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की।
 उत्तर प्रदेश सहायक विद्यालय अधिकाारी (पंचायत स्तर) सेवा नियमावली, 1989

1. 1989 के नियमावली उत्तर प्रदेश सहायक विद्यालय अधिकाारी (पंचायत स्तर) सेवा नियमावली, 1989 के प्रथम संशोधन से 11 नियमावली, 1994 को लागू की जाएगी।

2. उत्तर प्रदेश सहायक विद्यालय अधिकाारी (पंचायत स्तर) सेवा नियमावली, 1989 के अतिरिक्त उक्त नियमावली बहाल की जाएगी।
 3. 1989 के नियमावली के अतिरिक्त 1994 के संशोधन पर ध्यान देना।
 4. 1989 के नियमावली के अतिरिक्त 1994 के संशोधन पर ध्यान देना।

संख्या-1

संख्या-2

उत्तर प्रदेश सहायक विद्यालय अधिकाारी (पंचायत स्तर) सेवा नियमावली, 1989

1-11: सेवा की संरचना
 1-12: सेवा की संरचना
 1-13: सेवा की संरचना
 1-14: सेवा की संरचना
 1-15: सेवा की संरचना
 1-16: सेवा की संरचना
 1-17: सेवा की संरचना
 1-18: सेवा की संरचना
 1-19: सेवा की संरचना
 1-20: सेवा की संरचना

1-11: सेवा की संरचना
 1-12: सेवा की संरचना
 1-13: सेवा की संरचना
 1-14: सेवा की संरचना
 1-15: सेवा की संरचना
 1-16: सेवा की संरचना
 1-17: सेवा की संरचना
 1-18: सेवा की संरचना
 1-19: सेवा की संरचना
 1-20: सेवा की संरचना

पुस्तक संख्या 943 10 9

राज्यपाल विभाग
अध्यापी

पद का नाम स्थायी अध्यापी

संवाचक एवं
समाज शिवालय

परन्तु--

नियुक्ति प्राधिका-री
जिती रिक्त पद को विना
भरे हुए छोड़ सकते हैं या
राज्यपाल उते आत्यन्त रत्न
करो है जितनी कोई व्यक्ति
प्रतिष्ठत जा उच्छादर न होना,
उते राज्यपाल केते
अतिरिक्त स्थायी का
व्यवस्था की जाती का सुझाव पर
करो है जितनी रत्न उचित
करो ।

परन्तु नियुक्ति प्राधि-री जिती रिक्त
पद को विना भरे हुए छोड़ सकते है या
राज्यपाल उते आत्यन्त रत्न तकते है,
जितने कोई व्यक्ति प्रतिष्ठत जा उच्छादर
न होना,

उते राज्यपाल केते अतिरिक्त स्थायी
का अध्यापी पद का सुझाव पर
जितने पद उचित करो ।

राज्यपाल के, पीछे स्थायी-1 में उते गये जितने-5 के स्थान पर
जितने गये, जितने रत्न जितना जायना, उते-1-

समाप्त

का शीत

5- सेवा में भती, पदा
समाप्त, निम्नलिखित शीतों
के की जायगी-
एक-सुन रिक्तियों का
पदात प्रथमत ग्राम पंचायत अधिका-रियों
अधिकारियों में से पदोन्नति
का ।

राज्यपाल विभाग
5- सेवा में जितनी पद पर भती, मो-रिक्त
रत्न से नियुक्त ग्राम पंचायत अधिका-रियों
में से, पदोन्नति द्वारा की जायगी ।

राज्यपाल विभाग की
भती द्वारा ।

उक्त नियमावली का विषय 15 निम्नलिखित दिनांक पर

उक्त नियमावली के अन्तर्गत भाग-1 में दिये गये विषय 16 के
अनुसार पर, स्तम्भ-2 में दिये गये विषय एवं दिनांक पर, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

16- पर्यवेक्षण द्वारा भती
अनुमतिपत्र को अस्वीकार करने
के लिए उद्योग के आधार पर
समय-समय पर क्या संबंधित
अवसर प्रदान किया जायेगा
संप्रदायी व्यवस्थापन (प्रतिस्थापन)
नियमावली, 1970 के अनुसार
की जायेगी।

स्तम्भ-2

कानून द्वारा प्रतिस्थापित नियम

16-11 पर्यवेक्षण द्वारा भती, अनुमतिपत्र
को अस्वीकार करते हुए, उद्योग के आधार
पर, उत्तर प्रदेश विभागीय पर्यवेक्षणमिति
का गठन शेषक अधिनियम के अन्तर्गत
नहीं के बिना नियमावली, 1970 के
अनुसार भती को जाने जायेगा अथवा
के बाध्यता से ही जायेगी।

123 नियुक्ति प्राधिकारी अथवा
नियुक्ति के अन्तर्गत प्रत्येक
अधीनस्थ के अन्तर्गत प्रत्येक
पर्यवेक्षण द्वारा भती, अनुमतिपत्र,
1970 के अनुसार कानून और उक्त
पर्यवेक्षणमिति और उक्त संबंधित
अधीनस्थों के अन्तर्गत प्रत्येक
अधीनस्थ के अन्तर्गत प्रत्येक
अधीनस्थ के अन्तर्गत प्रत्येक

133 कानून संबंधित अधिनियम 123 में
अधीनस्थों के आधार पर अथवा
पर विचार करेगी और यदि यह
समझे तो अधीनस्थों का
तकली है।

143 कानून संबंधित अधिनियम 123 में
अधीनस्थों के अन्तर्गत प्रत्येक
अधीनस्थ के अन्तर्गत प्रत्येक

किन्ति उनही पदी-पदाती ली जाणी ही,
कड घुडी तयार करेनी और ओते निवृत्त
प्राधिकारी ली अग्रता-रित करेनी ।

अ. 17 अ. 17
अ. 17 अ. 17

6. उचत निवृत्तगती ली अ. 17 निवृत्त दिवस जावना ।

आज ले,

डा. 10 यशवान शिंदे,
लडिय ।